भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 83*
दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के लिए प्रश्न

गायों और इनके बछड़ों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या क्रम

83* श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार का गायों और बछड़ों को तस्करी से बचाने के लिए इनके लिए विशिष्ट पहचान संख्या क्रम जारी करने का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देशभर में स्वामित्वाधीन सभी गायों एवं उनकी संतति के लिए इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री राधा मोहन सिंह)

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री ए. के. सेल्वाराज, संसद सदस्य द्वारा गायों और इनके बछड़ों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या क्रम के बारे में 22 दिसम्बर, 2017 को दिये जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 83 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या क्रम का प्रयोग करते हुए दुग्ध में गोपशु और भैंसों की पहचान शुरू कर रही है ताकि पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन, रोगों को फैलने पर नियंत्रण और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के व्यापार में वृद्धि हो सके। ऐसा राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन योजना के "पशु संजीवनी" घटक के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

....